



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 674]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 31, 2012/पौष 10, 1934

No. 674]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 31, 2012/PAUSA 10, 1934

भारतीय रिज़र्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

( विदेशी मुद्रा विभाग )

(Foreign Exchange Department)

( केन्द्रीय कार्यालय )

(CENTRAL OFFICE)

अधिसूचना

NOTIFICATION

मुम्बई, 7 मार्च, 2012

Mumbai, the 7th March, 2012

'प्रतिभूति' की परिभाषा

Definition of 'Security'

सा.का.नि. 944(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) (फेमा) की धारा 2 के खंड (जेडए) के अनुसरण में, भारतीय रिज़र्व बैंक कंपनी ( भारतीय निक्षेपागार रसीद का निर्गम) नियमावली, 2004 के नियम 3 के उप-नियम (i) के खंड (सी) के तहत यथा परिभाषित भारतीय निक्षेपागार रसीदों (आइडीआरएस) को फेमा के प्रयोजन के लिए "प्रतिभूति" के रूप में अधिसूचित करता है।

G.S.R. 944(E).— In pursuance of clause (za) of Section 2 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) (FEMA), the Reserve Bank notifies Indian Depository Receipts (IDRs) as defined under clause (c) of sub-rule (i) of Rule 3 of Companies (Issue of Indian Depository Receipts) Rules, 2004, as "security" for the purposes of FEMA.

[सं. फेमा 223/2012-आरबी]

[No. FEMA 223/2012-RB]

मीना हेमचंद्र, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

MEENA HEMCHANDRA, Chief General  
Manager-in-Charge